विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम-शुक्रवार के लिए निर्धारित डॉ0 मान सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-35 का उत्तर-

प्रश्न	उत्तर
35 (क) क्या उप मुख्य मंत्री (ग्राम्य विकास) बतायेंगे कि ग्राम-रसूलपुर कटौली, तहसील-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ में वित्तीय वर्ष, 2021-22 व 2022-23 में किन-किन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिये गये है और वर्तमान में किन-किन व्यक्तियों के नाम पात्रता सूची में है?	परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण लखनऊ के पत्र दिनांक 28.06.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार ग्राम-रसूलपुर कटौली, ग्राम पंचायत-रसूलपुर, विकास खण्ड-मलिहाबाद जनपद-लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास प्लस की स्थायी प्रतीक्षा सूची के अनुसार कुल 22 लाभार्थी पात्र हैं। योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में 08, वर्ष 2021-22 में 03 तथा वर्ष 2022-23 में 11 पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराते हुए आवास प्लस की सूची को संतृप्त कर दिया गया है। सम्प्रति सूची में ग्राम पंचायत-रसूलपुर में कोई भी लाभार्थी आवास आवंटन के लिये शेष नहीं है।
(ख) क्या उक्त ग्रामसभा में सुभाष यादव पुत्र ठाकुर प्रसाद व सुदेश कुमार पुत्र स्व0 विशम्भर व रामनिवास यादव, पुत्र स्व0 सर्वजीत यादव, अशोक यादव पुत्र स्व0 विशम्भर आदि को भी आवास दिये जाने हेतु पात्रता सूची में नाम अंकित कराते हुए आवास दिलायेंगें?	खण्ड विकास अधिकारी, मलिहाबाद द्वारा दिनांक 28.06.2024 को की गयी जांच के अनुसार श्री सुभाष यादव पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद योजनान्तर्गत पात्र हैं (एकल पुरूष)। श्री सुदेश पुत्र स्व0 विशम्भर, रामनिवास पुत्र स्व0 सर्वजीत यादव अपात्र तथा श्री अशोक यादव पुत्र स्व0 विशम्भर परिवार के साथ लखनऊ में निवास करते हैं। मौके पर ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि लगभग 10 वर्षों से गांव में निवास नहीं करते हैं। वर्तमान में भारत सरकार की वेबसाइट में ग्राम पंचायत-रसूलपुर में आवास प्लस पर प्रदर्शित स्थायी प्रतीक्षा सूची में कोई लाभार्थी शेष नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नये पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
(ग) यदि हॉं, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

केशव प्रसाद मौर्य,
उप मुख्यमंत्री।